कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, जोगबनी
जिला– अररिया

महाशय,

नगर पंचायत, जोगबनी के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1688 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14557/55 दिनांक– 24-05-16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, अररिया

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1688/15–16

भाग- I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	–	नगर पंचायत जोगबनी
2.	लेखा परीक्षा की अवधि	–	वर्ष 2013-14 से 2014-15
3.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	–	अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दी गयी है।
4.	लेखापरीक्षा की तिथि	–	11.01.2016 से 18.01.2016
5.	**प्रशासन**		
(i)	**कार्यपालक पदाधिकारी** का नाम	–	1. श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह 01.04.2013 से 17.02.2014 2. श्री विष्णु देव सिंह 07.03.2014 से 08.09.2014 3. श्री विनोद कुमार 08.09.2015 से 31.03.15 तक
(ii)	**अध्यक्ष** का नाम	–	1. श्रीमती तरन्नुम नाज़ 01.04.2013 से 31.03.2015
(iii)	**उपाध्यक्ष** का नाम	–	1. श्री नरेश प्रसाद 01.04.2013 से 31.03.2015
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	–	1. श्री विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. 2. श्री अमरनाथ कुमार, स.ले.प.अ. 3. श्री शशि रंजन, व.ले.प. 4. श्री शिवराम, ले.प.
7.	**पूर्ववर्ती** लेखापरीक्षा के प्रतिवेन का अनुपालन	–	अप्राप्त
8.	नगर आयुक्त से वार्तालाप	–	दिनांक 18.01.2016
9.	**लेखा परीक्षा का परिणाम**		
	अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि	–	शून्य
	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	–	5276466
	आपति के अधीन रखी गयी राशि **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट VII पर)**	–	38,66,824

कंडिका-10 बज़ट एवं **वार्षिक लेखा**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 84 के अनुसार नगर निकाय द्वारा तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है। बजट प्राक्कलन संशोधन

(111

अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च के पहले निकाय को वापस भेजे जायेंगे एवं धारा 86, 87 एवं 88 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका के आय– व्यय संबंधी लेखा तैयार करेगा।

कार्यालय नगर पंचायत जोगबनी वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बजट की प्रति के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2013–14 का आय– व्यय बोर्ड की बैठक दिनांक 20.04.2013 में रखी गई एवं 16.05.2013 को सरकार को भेजी गयी, स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि में सरकार को नहीं भेजा गया। पुनः वर्ष 2014–15 के बोर्ड की बैठक 07.06.2013 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा स्वीकृत कर दिनांक 09.06.2014 को सरकार को भेजी गयी, अर्थात सरकार को ससमय बजट प्रस्तुत नहीं की गयी।

वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखापरीक्षा के क्रम में प्रस्तुत बजट एवं वार्षिक लेखा के अवलोकन में पाया गया कि 2014–15 का वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वर्ष 2013–14 के बजट एवं वार्षिक लेखा अवलोकन में पाया गया कि निम्नलिखित मद बजट में व्यय का प्रावधान किया गया था परन्तु वार्षिक लेखा (2013–14) से मिलान के क्रम में वास्तविक व्यय शून्य था।

क्र० सं०	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	भवन निर्माण	7000000	शून्य
2	बाजार निर्माण	300000	शून्य
3	नागरिक सुविधा तालाब	20000000	शून्य
4	बस पड़ाव पर व्यय	1000000	शून्य

लेखापरीक्षा टिप्पणीः–

(i) बजट प्राक्कलन ससमय सरकार को नहीं प्रेषित की गयी।

(ii) वर्ष 2014–15 का वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया।

(iii) वर्ष 2013–14 के बजट में वर्णित (उपर्युक्त विवरणी मद) मद में संभावित व्यय के विरूद्ध वास्तविक व्यय शून्य अर्थात कोई व्यय अथवा कार्य नहीं किया गया।

जवाब दिया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

कंडिका-11 सरकारी अनुदान

कार्यालय नगर पंचायत, जोगबनी वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक के लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष के पूर्व का अवशेष तथा वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक प्राप्त अनुदान एवं व्यय राशि की वास्तविकता ज्ञात नहीं हो सकी। लेखापाल रोकड़ पंजी के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2014–15 में कुल रु 19834449 **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-III पर)** अनुदानों प्राप्त हुआ था।

जवाब में बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण द न को दिखाया जायेगा। अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका-12 वित्तीय संव्यवहार

आय–व्यय (पी०एल० खाता)

कार्यालय नगर पंचायत जोगबनी वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक के रोकड़पाल रोकड़ बही का आय–व्यय निम्नवत है:–

	2013–14	2014–15
01.04.2013 को प्रारंभ शेष	34999867.22	48812959.22
प्रप्ति	32316024.00	40403869.66
कुल	67315891.22	89216828.88
व्यय	18502932.00	53508846.00
अंतशेष	48812959.22	35707982.88

दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ बही का अंतशेष 3570982.88

1	UCO BANK/7584	–	1073439.40
2	UCO BANK/5064	–	999153.00
3	UCO BANK/4287	–	545090.00
4	UCO BANK/7034	–	200300.00
5	CBI/ 7104	–	3968330.00
6	CBI/ 9004	–	3775490.00
7	CBI/ 1850	–	271954.00
8	SBI/ 2013	–	436931.81
9	SBI/ 9624	–	671327.00
10	SBI/ 2904	–	76528.66
11	S. Try.	–	22976655.01
		–	**34995198.88**
	Un-cashed draft	–	29300.00
	Un-cashed draft	–	693300.00
	Short Deposit	–	4800.00
	Excess show in the UCO Bank/ 7584	–	26.00
		–	**35722624.88**

दिनांक 31.03.2015 को विभिन्न बैंको में अवशेष की राशि उक्त प्रकार दर्ज है–

अंकेक्षण टिप्पणी:–

दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ पंजी का शेष रू० 35707982.88 के विरूद्ध बैंक खाता/कोषागार खाता का शेष रू० 34995198.88 अर्थात् (35707982.88 – 34995198.88) 712784.00 रोकड़ बही से बैंक खता/कोषागार खाता का प्रदर्शित हो रहा है। अन्तर राशि के विरूद्ध रोकड़ पंजी पर दर्ज

राशि Un-cashed draft/ short deposit/ excess shown in Bank Account के रूप में राशि दर्ज किया गया है।

जवाब में बताया गया है कि अंतर राशि का समाधान विवरणी आगामी लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। **जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि** Uncashed Draft / Short Deposit / Excess shown in Bank Account **का कारण / प्रमाण / समायोजन आदि प्रस्तुत /स्पष्ट नहीं किया गया।**

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग-II (क)

शून्य

भाग-II (ख)

कंडिका-1 कर संग्राहक द्वारा मकान कर वसूली की कम राशि जमा- रु 2.01 लाख

नगर पंचायत जोगबनी (अररिया), लेखा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखाओं के लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में यह पाया गया कि टैक्स दरोगा श्री सज्जन रजक द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल राशि रू० 715657/– संग्रहित की गई थी परंतु नगर पंचायत के संबंधित कोष में मात्र रू० 514537/– जमा की गई, जिसमें शेष राषि रू० 201120/– **(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-**IV **पर)** कम जमा **थी।**

जवाब में बताया गया है कि वसूली की कार्यवाही कर वसूली की गई राशि से लेखापरीक्षा **कार्यालय** को अवगत करा दिया जायेगा। **जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कर संग्राहक द्वारा वसूली की राशि** का वसूली के दिन अथवा आगामी कार्यदिवस को जमा करा दिया जाना चाहिए था। अतः **कर संग्राहक श्री सज्जन रजक से राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय** तथा जिम्मेवारी नियत कर आवश्यक कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुरूप की जाए।

कंडिका-2 भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति में श्रम-उपकर की वसूली नहीं किया जाना- रु 30.89 लाख

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया जा चुका है कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये जाते हैं और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक है उनसे 1 प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर **निकाय** में जमा करना है।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा। जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर **पंचायत जोगबनी** कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविद द्वारा इस सेस की वसूली की गयी है। नगर **पंचायत** कार्यालय तथा वास्तुविद द्वारा नक्शों में भवन निमार्ण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी है। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

बिहार सरकार के भवन निर्माण प्रमंडल द्वारा दी गयी भवन निर्माण की लागत दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में भवन निर्माण का न्यूनतम लागत मूल्य रू0 14500 प्रति वर्गमीटर था। नगर **पंचायत जोगबनी** कार्यालय द्वारा निर्माण का न्यूनतम लागत दर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः अंकेक्षण द्वारा भवन निर्माण प्रमंडल के लागत दर के आधार पर गणना करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की अवधि में नगर **पंचायत जोगबनी** द्वारा स्वीकृत किये गये 126 भवन निर्माण की योजनाओं में से 111 योजनाओं की लागत राशि रू0 10 लाख से उपर

(107

थी, जिसपर कुल रू0 3088581 के श्रम सेस की वसूली कार्यालय एवं वास्तुविद द्वारा नहीं की गयी थी, जिसका विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृत नक़्शे	10 लाख के ऊपर के स्वीकृत नक़्शे	कुल वर्ग मीटर	कुल वर्ग मीटर दर	कुल राशि	श्रम सेस कुल राशि का 1 %
01	2013-14	49	44	7855.354	14500	113902633	1139026
02	2014-15	77	67	13445.21	14500	194955545	1949555
कुल श्रम सेस							**3088581**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि श्रम सेस की कटौती नहीं करने के कारण श्रम विभाग को रू0 3057696 के श्रम सेस की तथा नगर पंचायत जोगबनी को रू0 30885 के राजस्व की हानि हुयी।

नगर पंचायत कार्यालय से श्रम सेस की वसूली नहीं किये जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि भविष्य में श्रम शेष की कटौती की जायेगी। पूर्व में इसकी जानकारी नहीं थी। कार्यालय द्वारा भवनों का प्राक्कलित राशि भी उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही कोई जवाब दिया गया |

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं होना कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है| अतः राशि रु 3088581 जॉचोपरान्त सम्बंधित/जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-3 संवेदकों **से विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं- रु 11.86 लाख**

नगर पंचायत जोगबनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न मद कुल 37 एवम् 2014-15 में विभिन्न मद में कुल 24 योजनाएं ली गई थी जिसमें से कुल 20 योजनायें संवेदक द्वारा ससमय पूर्ण नहीं किया गया। निविदा के शर्तों के अनुसार अगर कार्य संवेदक द्वारा नियत समय पर पूर्ण नहीं किया गया तो संवेदक से विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिदिन प्राक्कलित राशि का 1/2% (अधिकतम 10%) काटे जाने का प्रावधान है।

कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 एवम 2014-15 में 20 योजनाएँ विलम्ब से पूर्ण की गई हैं मगर कार्यालय द्वारा संवेदक को बिना विलम्ब शुल्क की कटौती किये सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। विलम्ब से पूर्ण किये गए योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि एवम् विलम्ब शुल्क की संक्षिप्त विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**विलम्ब से पूर्ण योजनाओं की संख्या**	**विलम्ब शुल्क की राशि (प्रा. राशि का 10%)**
1	2013-14	15	655190
2	2014-15	08	538970
कुल		**23**	**1194160**

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-V पर)

<u>अंकेक्षण टिप्पणी</u>

1. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं किये जाने के कारण के जवाब में बतलाया गया कि संवेदक से विलम्ब शुल्क वसूली की कार्रवाई की जायेगी जो तर्कसंगत नहीं है।
2. संबेदकों द्वारा कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि के समाप्ति के पूर्व अवधि विस्तार हेतु आवेदन दिए जाने के सम्बन्ध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

अतः राशि रु 1194160 की कटौती सम्बंधित व्यक्तियों से कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका-4 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत (SJSRY) प्रशिक्षण मद में अनियमित व्यय- 30.03 लाख

बिहार सरकार के पत्र संख्या 927 दिनांक 06.09.2012 के दिशानिर्देश के अनुसार बी0पी0एल0 परिवार के युवक एवं युवतियों को 17 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाना था। इसमें यह भी चर्चा की गई थी कि प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2012 थी और आपके द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में व्यावसायबार पंजी संधारित करना था। इस बात की सूचना विभाग के पत्रांक– 317, दिनांक 09.04.2012 पंत्राक– 427, दिनांक 15.05.2012 तथा पत्रांक– 507, दिनांक 12.06.2012 द्वारा दी जा चुकी थी जैसा कि इस पत्र द्वारा स्पष्ट है।

उपर्युक्त पत्र के (927) दिनांक 06.09.12 क्रम संख्या 11 में भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन अपने स्तर से मापदण्ड के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए।

105

बिहार सरकार के पत्र सं0 507 दिनांक 12.06.2012 में यह उल्लेखित है कि प्राप्त आवेदनों पर अंकित बी0पी0एल0 संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक और जहाँ नगर प्रबंधक नहीं है वहाँ स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

क्र.सं.	व्यवसाय (ट्रेड) का नाम	संस्था का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रति लाभार्थी संस्था को भुगतान	संस्था को कुल भुगतान
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	संबोधित	81	6500	526500
		ग्रामीण बाल एवम् मानव विकास समिति	70	6500	455000
2	फैशन डिजाईनिंग	संबोधित	55	6500	357500
		उजमा महिला विकास समिति	96	6500	624000
		ग्रामीण बाल एवम् मानव विकास समिति	90	6500	585000
3	ब्यूटीशियन	संबोधित	31	5500	170500
		उजमा महिला विकास समिति	19	5500	104500
6	स्पोकन इंगलिश	संबोधित	45	4000	180000
प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं को कुल देय राशि			**487**		**3003000**

अंकेक्षण आपत्ति

1. सरकार के पत्रांक 1113/न.वि.एवम् आ.वि. पटना दिनांक 31.10.2012 द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत कुल रु 30,00,000 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसमें रु 12,00,000 राशि Step Up प्रशिक्षण मद हेतु थी मगर कार्यालय द्वारा इस मद में रु 30,03,000 व्यय किया गया, यहाँ स्पष्ट करना है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में प्राप्त कुल आवंटन का 40% ही राशि Step Up प्रशिक्षण मद में व्यय करनी थी मगर कार्यालय द्वारा रु 18,03,000 (रु 30,03,000-12,00,000) दूसरे घटकों का विचलन कर व्यय की गई। कार्यालय द्वारा पूछे जाने पर जवाब में बतलाया गया कि SJSRY मद के अन्तर्गत पूर्व के अवशेष भी थे, जिस कारण रू0 30,03,000.00 (तीस लाख तीन हजार रू0) मात्र प्रशिक्षण मद में व्यय किये गये हैं। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि विभाग दवारा निर्धारित टारगेट (200 लाभार्थी) से ज्यादा 487 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया | पूर्व की राशि भी कई घटक के थे जिसे विचलित कर प्रशिक्षण मद में लगाया गया।

2. बिहार सरकार के पत्र सं0 507 दिनांक 12.06.2012 में यह उल्लेखित है कि प्राप्त आवेदनों पर अंकित बी0पी0एल0 संख्या की सत्यता की जाँच नगर प्रबंधक और जहाँ नगर प्रबंधक नहीं है वहाँ स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जायेगी **मगर नगर पंचायत जोगबनी द्वारा आवेदनों की सत्यता की जाँच नही की गयी है I जवाब में बताया गया कि** इस बात की जानकारी कार्यालय को प्राप्त नहीं थी। **जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि आदेशों /निर्देशों की जानकारी नहीं होना कार्यालय कर्मियों के कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है |**
3. सरकार के निदेशानुसार 30% प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन करना आवश्यक था। मगर प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं द्वारा किसी भी लाभार्थी को नियोजित नहीं किया गया। **जवाब में बताया गया कि** प्रषिक्षण देनेवाले संस्था द्वारा लाभार्थियों से नियोजन से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया **जो तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना 30% प्रशिक्षणार्थियो को नियोजित किये संस्थायों को** पूरी **राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था |**
4. किसी भी लाभार्थी को टूल किटस उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में पृच्छा किये जाने पर **लेखापरीक्षा को बताया गया कि कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं थी जो कि तर्कसंगत एवम् संतोषप्रद नहीं है |**

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत विभाग से निर्गत दिशानिदेशों /आदेशों आदि का अनुसरण नहीं किया गया और अनियमित रूप से राशि व्यय किया जाता रहा | अतः संतोषप्रद जवाब उपलब्ध कराये जाने तक राशि रु 30,03,000 आपत्ति के अधीन रखी जाती है |

कंडिका-5 विविध रसीद की राशि नहीं जमा- रु 8900

विविध रसीद के नमूना जांच में पाया गया कि कर संग्राहक श्री सज्जन रजक के द्वारा दिनांक 19.12.2014 से 31.03.2015 तक विविध रसीद संख्या 1476 से 1484 तक कुल रू. 8900 वसूल की गई जो नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया, जिसका विवरणी निम्नलिखित है:–

क्र० सं०	रसीद सं०	दिनांक	राशि	वसूलकर्त्ता के नाम
1	1476	19.12.14	2500	श्री सज्जन रजक
2	1477	20.12.14	500	श्री सज्जन रजक
3	1478	20.12.14	500	श्री सज्जन रजक
4	1479	02.01.15	500	श्री सज्जन रजक
5	1480	06.01.15	1100	श्री सज्जन रजक
6	1481	09.01.15	1100	श्री सज्जन रजक
7	1482	18.02.15	500	श्री सज्जन रजक
8	1483	21.03.15	1100	श्री सज्जन रजक
9	1484	31.03.15	1100	श्री सज्जन रजक
		कुल	**8900**	

1/03

जवाब में बताया गया कि वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा। अतः राशि 8900 की वसूली कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका-6 अग्रिम का समायोजन नहीं- रु 21.25 लाख

नगर पंचायत जोगबनी के द्वारा संधारित अग्रिम पंजी की जांच में पाया गया कि दिनांक– 09.03.2015 तक दिये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो हेतु योजना अग्रिम एवं अन्य कार्य हेतु अग्रिम स्वरूप कुल रू० 2124523 दिया गया था, जिसका समायोजन अभी तक नहीं किया गया है।

अतः कुल रू० 2124523 संबंधित व्यक्तियों से समायोजन/वसूल कर यथाशीघ्र अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

जवाब में बताया गया कि वसूली कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

कंडिका-7 हाई मास्ट **लाइट**

नगर पंचायत, जोगबनी के हाई मास्ट लाईट के क्रय एवं अधिष्ठापन से संबंधित संचिका के जाँच में पाया गया कि आम बैठक दिनांक–30.12.2013 के प्रस्ताव संख्या 03 (7) द्वारा तेरहवें वित्त मद से 04 एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से 01 हाई मास्ट लाईट का क्रय करना था। क्रय किए गए लाईटों को निम्न पाँच स्थलों पर अधिष्ठापित करना था।

1. थाना के सामने पोल के समीप वार्ड नं0–16
2. मंदिर के पास वार्ड नं0–05 एवं 07
3. वार्ड नं0–09 में शनि मंदिर चौराहा के पास
4. अहमदपुर चौक के पास
5. गर्ल्स हाई स्कूल के समीप पार्क में वार्ड सं0–04

इस हेतु निविदा निकाली गई एवं सबसे कम दर देनेवाले मेसर्स आर0के0 इन्टरप्राईजेज को प्रति नग रू0 3,98,500.00 की दर से कार्यालय द्वारा दिनांक 14.02.2014 को आपूर्ति एवं अधिष्ठापन आदेश भी निकाला गया।

आगे जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में सात हाई मास्ट लाईट का क्रय करने हेतु बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व के स्वीकृत दर पर यानि रू0 3,98,500.00 प्रति नग के दर से ही क्रय किया जाए और इस कारण पुनः मेसर्स आर0के0 इन्टरप्राईजेज को ही आपूर्ति हेतु चयनित किया गया था–

1. वार्ड सं0–11 में जोगबनी हाट पर
2. वार्ड सं0–12 में चाणक्य चौक पर

3. वार्ड नं0–15 नेताजी चौक कचहरी परिसर में
4. वार्ड नं0–02 में धुसकी पट्टी चौघटिया पर
5. वार्ड नं0–18 रेलवे गुमटी के पास
6. वार्ड नं0–08
7. वार्ड नं0–10

अंकेक्षण आपत्ति

(1) दिनांक 30.12.2013 की बैठक से संबंधित कोई भी प्रमाण बैठक पंजी में नहीं पाया गया।

(2) नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं0–02ब/विविध 26–04/10–290 दिनांक– 07.02.2014 में वर्णित है कि बिना वैध विद्युत संबंध की व्यवस्था कराये एवं इससे संबंधित नियमित व्यय की व्यवस्था किये हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया जाए मगर कार्यालय द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

(3) गुणवत्ता के जाँच एवं अधिष्ठापन के बाद ही आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान करना था मगर गुणवत्ता की जाँच से संबंधित प्रमाण नहीं पाया गया।

(4) जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में जिन पाँच स्थानों पर हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित किया जाना था। उससे एक स्थान को बिना बोर्ड के अनुमोदन के परिवर्तित कर दिया गया यानि वार्ड सं0–09 में शनि मंदिर चौराहा पर न लगाकर वार्ड नं0–09 में ही कैल सरदार के घर के पास लगाया गया। इसी प्रकार 2014–15 में भी वार्ड सं0–18 रेलवे गुमटी के पास न लगाकर वार्ड सं0–16 में बस पड़ाव थाना के पीछे लगाया गया।

उपर्युक्त अंकेक्षण आपत्ति क्रम सं0 01 से 03 के जवाब के संबंध में बताया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा एवं क्रम सं0 04 के जवाब में बताया गया कि स्थल अनुपलब्धता के कारण उसी वार्ड में स्थल परिवर्तन कर हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन किया गया है। **जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन में विभागीय आदेशों एवम् नियमों का पालन नहीं किया गया।**

कंडिका-8 भारी विलम्ब अधिभार- रु 22.42 लाख

कार्यालय नगर पंचायत जोगबनी वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक के लेखापरीक्षा में अभिश्रव के नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़पंजी के दिनांक 26.03.2015 अभिश्रव संख्या 436 के द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूसन प्रा०लि० को विद्युत विपत्र का भुगतान रू० 515828/– की गयी है।

प्रस्तुत अभिश्रव के अवलोकन में पाया गया कि विपत्र माह 02/2015 का कुल देय राशि रू० 8050410/– थी, जिसमें 5720508.75 उर्जा बकाया था एवं विलंब अधिभार बकाया रू० 2218073.53 तथा वर्तमान माह का विलंब अधिभार रू० 24500.00 था अर्थात कुल विलम्ब अधिभार रू० 2242573.53 था। जिसके विरूद्ध नगर पंचायत द्वारा विपत्र की कुल राशि के विरूद्ध मात्र 515828/– का भुगतान किया गया, अर्थात् भविष्य में विद्युत विपत्र का नगर पंचायत के उपर भार एवं व्यय रूपी विलंब अधिभार बढ़ती चली जायेगी।

1/01

ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान क्यों नहीं किया गया था इसके जवाब में बताया गया कि आवंटन के अभाव में विद्युत विपत्र का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण विलम्ब भार बढ़ गई है। आवंटन प्राप्त होते ही विपत्र का भुगतान कर दिया जायेगा एवं भविष्य में समय पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

कंडिका-9 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेंट परमिट शुल्क नहीं लेने के कारण हानि-1.98 लाख

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त मोडिफाईड बिल्डिग के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	रू0 1500/–
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू0 3000/–
2.5 हेक्टेयर से उपर	रू0 5000/–

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जुलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दी जाएगी तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निगम कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने 08 दिसंबर 2014 से नया बिहार बिल्डिंग बाई लॉ लागू किया है। जिसके बाई लॉ सं0 7(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निगम में डेवलपमेन्ट परमिट फीस निम्न दर से लिया जायेगा–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	रू0 10000/–
एक हेक्टेयर एवं उससे उपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू0 20000/–
2.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक	रू0 30000/–

लेकिन **नगर पंचायत जोगबनी** कार्यालय द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निगम द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया है। नक्शा प्राप्ति पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि स्वीकृत

नक्शा आवासीय है अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस अवधि में कुल 126 नक्शे निगम कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क0 सं0	नक्शा स्वीकृत करने की अवधि	स्वीकृत नक्शों की सं0	प्रति नक्शा न्यूनतम दर रू0 में	कुल राशि रू0 में	किनके द्वारा स्वीकृत किया गया
1	01-04-2013 से 31.03.2014	49	1500	73500	वास्तुविद द्वारा
2	01-04-2014 से 31-12-2014	76	1500	114000	वास्तुविद द्वारा
3	01-01-2015 से 31-3-2015	01	10000	10000	वास्तुविद द्वारा
	योग	126		**197500**	

लेकिन इन नक्शों की स्वीकृति में न तो निगम कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया। न्यूनतम प्रति नक्शा के गणना के आधार पर स्वीकृत नक्शों पर नगर निगम कार्यालय को न्यूनतम रू0 197500 की हानि हुयी।

नगर पंचायत जोगबनी कार्यालय द्वारा वास्तुविदों से डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली का कारण नहीं पूछा गया था तथा न ही इसका मांग पत्र उनको दिया गया था। निगम कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में नहीं बतलाया जा सका कि बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से क्यों नहीं लिया गया।

बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से नहीं **लिए जाने के कारणों के जवाब में कार्यालय द्वारा बतलाया गया कि** नक्शा स्वीकृति के लिए डेवलपमेन्ट परमिट फीस लिये जाने की जानकारी कार्यालय को नहीं थी। भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है अतः इस संबंध में आवश्यक जॉच के पश्चात **राशि** न्यूनतम रू0 197500 **सम्बंधित व्यक्तियों से वसूल कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।**

कंडिका-10 सैरातों की बंदोबस्ती की राशि जमा नहीं : रु 0.69 लाख

सैरात बंदोबस्ती से सम्बंधित पंजी एवम् पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अध्ययन से दृष्टिगोचार हुआ **कि वर्ष 2011-12 में किये गए बंदोबस्ती की पूरी राशि बंदोबस्तधारिगों से वसूल नहीं किया गया यानि बंदोबस्ताधारियो द्वारा कम राशि जमा की गई । नियमानुसार बंदोबस्ती वर्ष में ही**

कार्यालय द्वारा पूरी राशि की वसूली कर लेनी चाहिए थी मगर अंकेक्षण आपत्ति के वावजूद भी अभी तक सम्बंधित व्यक्तियों से राशि की वसूली नहीं की गई है जिसकी विवरणी निम्न है-

क्र.सं.	सैरात **का नाम**	**वर्ष**	**बंदोबस्ताधारी का नाम**	**बंदोबस्ती की राशि**	**जमा राशि**	**अवशेष राशि**
1	जोगबनी हाट	2011-12	जय प्रकाश यादव	203000	175600	27400
2	जोगबनी गुदरी	2011-12	अजय कुमार दुबे	158000	136400	21600
3	वाहन पार्किंग	2011-12	आदित्य कु. श्रीवास्तव	33500	13500	20000
कुल				394500	325500	69000

उपर्युक्त बन्दोबस्ताधारियों से वर्ष 2011-12 की बकाया राशि की वसूली क्यों नहीं किये जाने के कारण के जवाब में बताया गया कि वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाएगा | जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपर्युक्त राशि पूर्व के अंकेक्षण (वर्ष 2012-13) के दौरान ही उजागर की गई थी मगर कार्यालय अभी तक इसकी वसूली नहीं कर पाया है | अतः राशि रु 69000 की वसूली सम्बन्धित व्यक्तिओं से कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-11 सैरातों की बंदोबस्ती का स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने से हानि- रु 0.47 लाख

राज्य सरकार के पत्रांक 1920 / मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव-सह-महानिरीक्षक निबंधन के पत्रांक 549 / 15.03.2005 के अनुसार बंदोबस्ती राशि के कुल मूल्य के 3% के स्टाम्प पर बंदोबस्ती का निबंधन किया जाना है।

नगर पंचायत जोगबनी के सैरातों से सम्बंधित पंजी एवम् संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में मात्र पांच सैरातों की बंदोबस्ती की गई थी। यहाँ स्पष्ट करना है कि वर्ष 2014-15 में मात्र 10 माह के लिए बंदोबस्ती हुई थी, बंदोबस्ती किये गए सैरातों की विवरणी निम्न है:-

क्र.सं.	**सैरात का नाम**	**वर्ष**	**बंदोबस्तीधारी का नाम**	**बंदोबस्ती की राशि**	**स्टाम्प की राशि**
1	निबंधन शुल्क	2013-14	मो. इलियास	17000	510
		2014-15	मो. इलियास	17000	510
2	मवेशी अड़गड़ा	2013-14	कम्मो	5900	177
		2014-15	मो. इलियास	5600	168
3	जोगबनी हाट	2013-14	मो. इरसाहिल	246000	7380
		2014-15	मो. जसीन खां	346000	10380
4	जोगबनी गुदरी	2013-14	संजय दुबे	193000	5790
		2014-15	मो. जसीन खां	671000	20130

5	वाहन पार्किंग शुल्क	2013-14	मो. इलियास	37000	1110
		2014-15	मो. जसीन खां	35000	1050
कुल				**1573500**	**47205**

विवरणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवम् 2014-15 में सैरातों की बंदोबस्ती से कुल रु 15,73,500 प्राप्त हुई थी मगर स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने के कारण सरकार को उपर्युक्त बंदोबस्ती राशि का 3% (रु 1573500 X 3%) यानि रु 47205 के राजस्व की क्षति हुई ।

स्टाम्प पेपर पर निबंधन नहीं किये जाने के कारणों के जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी कार्यालय को नहीं थी जो संतोषप्रद नहीं है | अतः राशि रु 47205 की वसूली आवश्यक जॉचोपरान्त सम्बन्धित व्यक्तिओं से कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-12 नगर पंचायत **द्वारा मोबाइल टावरों से अधिष्ठापन/पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली में उदासीनता के कारण लाखों की राजस्व क्षति- रु 4.70 लाख**

बिहार संचार मीनार एवं सम्बंधित संरचना नियमावली 2012 कि अधिसूचना (सं. 3692 दिनांक 08-10-12) के गजट में प्रकाशन के पश्चात् सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) सभी निकायों को मांगपत्र प्रेषण हेतु निर्देश दिया गया था |

उपरोक्त नियमावली के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक मोबाइल टावर का पंजीयन फीस रू 30000 तथा वार्षिक नवीकरण फीस रु 8000 निर्धारित है | पुनः टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत कि दर से पंजीयन फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जाना है |

परन्तु नगर पंचायत जोगबनी द्वारा इसे लागू तथा वसूलने के कार्रवाई में उदासीनता देखी गई| इस हेतु संधारित संचिका (आंशिक उपलब्ध) के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन कंपनी का कितने मोबाइल टावर संचालित है तथा उनका

(97)

अधिष्ठापन कब से था, स्थापित टावर पर अतिरिक्त एंटीनों की संख्या आदि का सम्पूर्ण सर्वे नहीं किया गया था |

मोबाइल टावर हेतु मांग एवम् बसूली पंजी का संधारण कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा था| कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत मात्र 7 मोबाइल टावर थे जिनके विरुद्ध रु 470000 (पंजीयन शुल्क + नवीकरण शुल्क) का बकाया शेष है |

अंकेक्षण आपत्ति

लेखापरीक्षा दल द्वारा यह पूछे जाने पर कि

1. मोबाइल टावर कंपनियों पर बकाया से सम्बंधित मांग एवम् वसूली पंजी का संधारण क्यों नहीं किया जा रहा है ?
2. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कम्पनियाँ जो बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत हुए एवम् बिना अनुमति के मोबाइल टावर अधिष्ठापित किये गए हैं उनपर कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?
3. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिष्ठापित टावरों पर कुल कितने अतिरिक्त एंटीना लगाया गया है तथा क्या अतिरिक्त एंटीनाओं पर 60 % की दर से पंजीकरण एवम् नवीकरण शुल्क लिया जा रहा है ?
4. नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाइल टावरों एवम् अतिरिक्त एंटीनाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए नगर पंचाट द्वरा कब सर्वेक्षण कराया गया तथा इस कार्य हेतु किन अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ?

के जवाब में बताया गया कि उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी | अतः उपर्युक्त आपत्तियों पर कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय | इसके साथ-साथ संचार मीनार कंपनियों पर पंजीकरण एवम् नवीकरण शुल्क की बकाये राशि रु 470000 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय |

कंडिका-13 होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि:- रु 13.17 लाख

नगर पंचायत जोगबनी द्वारा मांग एवम वसूली पंजी लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में निगम का कुल रु 13,17,483 होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया है जिसकी विवरणी निम्न है-

	2013-14	2014-15
पूर्व का बकाया	2970975	27,81,316
चालु वर्ष का मांग	901082	9,01,082
कुल मांग	3872057	36,82,398
कुल वसूली	1090741	23,64,915
कुल बकाया राशि	2781316	13,17,483

कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं कराया गया कि बकाये होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए निगम कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा टैक्स वसूली के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में दिए गए प्रावधानों में से किन-किन प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा रहा है । जवाब में बताया गया कि वसूल की प्रक्रिया चल रही है। अतः बकाये राशि रु 13,17,483 की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय ।

कंडिका-14 शिक्षा एवम् स्वास्थ्य उपकर की राशि सम्बंधित विभागों को स्थानांतरित नहीं- रु 8.64 लाख

बिहार प्राथमिक शिक्षा नियमावली 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य सेस नियमावली 1972 के प्रावधानों के अनुसार सभी नगर निकाय को शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रुप में प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत वसूली चार्ज के रुप में नगर निकाय में रखेगें एवं बाकि बचे 90 प्रतिशत राज्य सरकार के संबधित शीर्ष में जमा करेगें। परन्तु नगर पंचायत जोगबनी द्वारा होल्डिंग के साथ वसूल किये गये शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। नगर पंचायत जोगबनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवम् 2014–15 की अवधि में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर मद में कुल रु 959804 राशि प्राप्त हुई थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–